



112

न्यायालय श्री मान राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य प्रदेश
 पृ० क्र० /2017 नवीनं पृ० ५५२५/२०१७
 I/ गिराणी/विदिशा/भूरा/2017/4725

- 1:- शफीनाबी पतिन रहमान शाह
- 2:- अकबरशाह पुत्र रहमान शाह
- 3:- रहीम उर्फ मुन्ना पुत्र रहमानशाह
 जाति पकीर निवासी गण सिरोज चौराहा
 गंज बासोदा जिला विदिशा म०प० ----

अपीलान्ट

बनाम

श्री मान राजस्व मंडल
 द्वारा आज दि. 28/11/17 को
 प्रस्तुत

28/11/17
 21-12-17

28/11/17

21/12/17

- 1:- मदनलाल मृत गोई वारिस नही
- 2:- दीपक कुमार उर्फ मुन्ना पुत्र सुरेशना राय
 उर्फ हपकू साहव जाति ब्राम्हण निवासी
 बासोदा जिला विदिशा म०प०
- 3:- राजस्व निरीक्षक बृत् 2 तेहसील गंज
 बासोदा जिला विदिशा म०प०
 रिस्पाडेन्सण

रिर्वीजन अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व
 संश्लेषण विधायक आदेश पं० क्र० दिनांक 28/10/
 2017 न्यायालय राजस्व निरीक्षक बृत् 2 बासोदा
 प्रकरण क्रमांक 13/अ-12/2017-18 व मामले दीपक
 कुमार मदनलाल भूमि स्थित ग्राम सिवा बासोदा
 =====

श्री मान महोदय ,


रिर्वीजन के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कस्बा

बासोदा की आराजी नं० 135/1/1 रकबा 0.304 हे० एवं 135/2 रकबा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4725

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	